# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ (राज.)

अनवान राजो देवी बनाम कैलाश देवी आदि

अपील अन्तर्गत 225 आरटीएक्ट क्रमांक 234/2023

| आदेश दिनांक | आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त | आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक |
|---|---|---|
| 22.09.2023 | पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन है अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलार्थीया के आधिपत्य व धारण की आराजी में हस्तक्षेप करने पर उतारू है। अपीलार्थीया अपने आधिपत्य व धारण की आराजी की पूर्ण स्वामी है परन्तु विचारण न्यायलाय द्वारा अपीलाधीन आदेश के कारण अपनी इच्छा अनुसार अपनी आराजी का उपयोग व उपभोग करने व अपने हक हिस्से की आराजी को अपने नाम दर्ज करवाने व रहन व बेचान की सुविधा लेने से वंचित हो रही है। अधीनस्थ न्यायालय में कैलाश एवं रोशनी ने खाता विभाजन का वाद पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत आराजी को रहन बैय नहीं करने का आदेश दिया है। रेस्पोडेण्ट ने विशेष हिस्से का बेचान नहीं करने का स्थगन लिया है। एकपक्षीय स्थगन आदेश को 30 दिन में निस्तारण करने के निर्देश है। लेकिन पत्रावली आज भी विचाराधीन है। अपीलाधीन आदेश अपीलार्थीया को सुने बिना पारित किया गया है। इससे अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए प्रकरण में स्थगन आदेश पारित किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2014 (1) पेज 409 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।<br>विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायलाय में प्र0 सं0 81/2022 अनवान कैलाश बनाम जीतराम प्रस्तुत हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.05.2022 की प्रमाणित प्रति से स्पष्ट है कि धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था। प्रकरण को दर्ज करते हुए अपीलार्थीया के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए की गई है एवं अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब करने के आदेश दिये गये है एवं | |

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.06.2022 दी गई थी। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में आज भी विचाराधीन है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत आदेश अंतरिम आदेश है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की निगरानी सं0 3703/2023 अनवान करनैल सिंह बनाम जगदीश सिंह में पारित आदेश दिनांक 21.08.2023 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अंतरिम आदेश की अपील पोषणीय नहीं है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त के आलौक में यह अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत हाने के कारण पोषणीय नहीं है इसलिए खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय को अंतरिम आदेश जारी करने की असीमित शक्तियां नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने उक्त न्यायिक दृष्टान्त में एक पक्षीय स्थगन आदेशों को 2 माह में निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते हैं कि वे दोनों पक्षों की विधिवत सुनवाई करते हुए उनके समक्ष विचाराधीन प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पर 2 माह के अन्दर अपना विधि सम्मत निर्णय पारित करे तब तक परीक्षण न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 06.05.2022 यथावत रहेगा। यदि 2 माह के अन्दर निर्णय नहीं किया जाता है तो परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06. 05.0022 की पालना स्वतः ही स्थगित मानी जावेगी। पक्षकारान परीक्षण न्यायालय में दिनांक 04.10.2023 को उपस्थित हों। परीक्षण न्यायालय उक्त दिनांक से आगामी दो माह में अपना निर्णय पारित करेगा। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई जावे।

पत्रावली दर्ज कर निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22.9.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22.09.2023

(अशोक कुमार [illegible])
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़